

## मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

बईजलास श्री संदीप कुमार(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 218/2022

उनवान

(1) रुघनाथ पि.मोती दरोगा नि. महासिंह जी का खेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— वादी

बनाम

(1) तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,कारशकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 वादी की ओर से अधिवक्ता वादी स्वयं तथा प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद-पत्र के आज तारीख 21.06.2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 फोलोअप केम्प आसीन्द में अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी डिक्री किया जाकर निम्नांकित कृषि भूमि मे वादी के पिता नाम संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं -

**ग्राम महासिंह जी का खेड़ा जमाबन्दी संवत 2076-2079**


**ग्राम महासिंह जी का खेड़ा जमाबन्दी संवत 2076-2079**

क्र.स.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खातेदार का नाम जो संशोधित किया जाना है
1	131	रुघनाथ दत्तक पुत्र श्रीराम 1/7 हिस्सा शेष यथावत	रुघनाथ पि.मोती 1/7 हिस्सा शेष यथावत
2	151	रुघनाथ दत्तक पुत्र हरराम दरोगा सा.देह खातेदार	रुघनाथ पि.मोती दरोगा सा.देह खातेदार
3	152	रुघनाथ दत्तक पुत्र हरराम 1/4 हिस्सा शेष यथावत	रुघनाथ पि.मोती 1/4 हिस्सा शेष यथावत
4	30	रुघनाथ दत्तक पुत्र हरराम हिस्सा 1/8 दरोगा शेष यथावत	रुघनाथ पि.मोती 1/8 शेष हिस्सा यथावत

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

इस वाद के खर्चे लेखे ---xxxxx--- रुपये की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर ---xxxxx---प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित रुघनाथ पि.मोती दरोगा सा.देह खातेदार द्वारा ---xxxxx---वादी को दिया जावे।

यह आज तारीख 21.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय मुद्रा से जारी की गयी।



वाद के खर्चे

स्वायत्त कलक्टर (S.D.O.)  
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

वर्दी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
1 वाद-पत्र के लिए स्टाम्प	-	-	शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	-	-
2 शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	-	-	अर्जी के लिए स्टाम्प	-	-
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	-	-	प्लीडर की फीस	-	-
4 रुपये पर प्लीडर की फीस	-	-	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-	आदेशिका की तामील	-	-
6 कमिश्नर की फीस (तलवाना)	-	-	कमिश्नर की फीस	-	-
7 आदेशिका की तामील	-	-		-	-
योग	-	-	योग	-	-



स्वायत्त कलक्टर (S.D.O.)